

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/160

प्रार्थी रणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 02 वीपीओ नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मूल रसीद व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई. डी.प्रुफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री हरनेक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 2 वीपीओ नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 01.09.2021 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 30.12.2021 को हो चुका है।, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाह सुनील कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार एवं दीपक सोलंकी पुत्र पालराम सोलंकी ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री संदीप ढाका ने की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय



